

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025 / 437

दायरा तिथि : 17.07.25

आदेश तिथि : 28/07/2025

प्रार्थी :-

बिकमजीतसिंह बक्षी पुत्र अमरजीतसिंह जाति बक्षी निवासी जोधपुर

ब ना म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांक: 28/7/25

आदेश
प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम चामुण्डेरी पटवार हल्का चामुण्डेरी तहसील बाली के खसरा नंबर 1966 रकबा 2.1800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम चामुण्डेरी पटवार हल्का चामुण्डेरी तहसील बाली के खसरा नंबर 1969 रकबा 0.6600 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1970 रकबा 0.3000 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में निरीक्षक भू-अभिलेख चामुण्डेरी को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। निरीक्षक भू-अभिलेख चामुण्डेरी ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। निरीक्षक भू-अभिलेख चामुण्डेरी की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

- यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
- प्रस्तावित रास्ता किसी सड़क अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है।
- यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौकों पर चलायमान है।
- यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1969	0.60 हैक्टर	बा.अ.	52X9=468 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	1970	0.30 हैक्टर	बा.अ.	40X9=360 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

- यह कि निरीक्षक भू-अभिलेख चामुण्डेरी द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 188830/- रुपये प्रति हैक्टर है। यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण में निरीक्षक भू-अभिलेख चामुण्डेरी द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। निरीक्षक भू-अभिलेख चामुण्डेरी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 308 रकबा 2.1800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से निरीक्षक भू-अभिलेख नाना द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

पेज लगातार.....02



सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

// 02 //
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025 / 437
 अनवान बिकमजीतसिंह बक्षी कच्छवाहा बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955

अतः राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान कारतकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम चामुण्डेरी पटवार हल्का चामुण्डेरी तहसील बाली के खसरा नंबर 1966 रकबा 2.1800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम चामुण्डेरी पटवार हल्का चामुण्डेरी तहसील बाली के खसरा नंबर 1969 रकबा 0.6600 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1970 रकबा 0.3000 हैक्टर में से 468+360=828 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए निरीक्षक भू-अभिलेख चामुण्डेरी द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,88,830/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1969	0.60 हैक्टर	52X9=468 वर्गमीटर	19	8892X2=17784	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
1970	0.30 हैक्टर	40X9=360 वर्गमीटर	19	6840X2=13680	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 31464/- (अक्षरे इकत्तीस हजार चार सौ चौसठ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। निरीक्षक भू-अभिलेख नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक/कोर्ट/2025/ 1006 - 1010
 प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 चामुण्डेरी
3. पटवारी हल्का, चामुण्डेरी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक बिकमजीतसिंह बक्षी पुत्र अमरजीतसिंह जाति बक्षी निवासी जोधपुर को सूचनार्थ।

(दिनेश बिश्नोई)
 आग्रमरस

संबन्धित करविभाग में प्रेषित
 उपखण्ड अधिकारी, बाली

संबन्धित करविभाग में प्रेषित
 उपखण्ड अधिकारी, बाली

नजरी नक्शा ग्राम वासुदेवी
तहसील-बाही जिला-पाली राजठ

BhuNaksha

Login

